भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1245
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1245. श्री मुरारी लाल मीना:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राजस्थान के दौसा और हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीकृत सड़कों की संख्या कितनी है और उनमें से निर्मित सड़कों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के तहत राजस्थान और हरियाणा सहित देश में राज्यवार नई सड़कों का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) उस अवधि के दौरान सोनीपत और हरियाणा सहित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए जिलावार कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार का हरियाणा के दूर-दराज के क्षेत्रों को कवर करने के लिए पीएमजीएसवाई का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में पीएमजीएसवाई के तहत और अधिक सड़कें स्वीकृत करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता में वृद्धि के लिए सहायता देने हेतु एकबारगी विशेष पहल के रूप में दिसम्बर , 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई थी। इस मंत्रालय में

पीएमजीएसवाई से संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले अर्थात दौसा, जयपुर और अलवर आते हैं जबकि सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो जिलों अर्थात सोनीपत और जींद के क्षेत्र शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में स्वीकृत और पूरी की गई सड़कों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	**जिले का नाम**	**स्वीकृत**			**पूरी की गई ***		
		सड़कों की संख्या	**सड़क की लंबाई (कि.मी. में)**	**पुल**	**सड़कों की संख्या**	**सड़क की लंबाई (कि.मी. में)**	**सड़कों की संख्या**
दौसा	अलवर	11	82.114	0	16	152.31	0
	जयपुर	-	-	-	-	-	-
	दौसा	6	52.3	0	22	158.72	0
सोनीपत	जींद	7	98.86	0	19	197.85	0
	सोनीपत	3	23.735	0	14	128.77	0

* इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत सड़क लंबाई भी शामिल है।

(ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों (पीएमजीएसवाई-I, II, III और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)) के अंतर्गत अब तक देशभर में 8,34,717 किलोमीटर लंबाई की कुल 1,91,184 सड़कें स्वीकृत की गई है, जिनमें से 7,72,324 किलोमीटर लंबी 1,81,651 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 44,885 किलोमीटर लंबाई की कुल 8,533 सड़कों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में जारी हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी हो चुकी सड़कों तथा शेष सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमजीएसवाई -I, II, III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2025 है।

(ग): पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन/निधियां जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है और यह अन्य बातों के साथ-साथ जारी कार्यों, राज्य की निष्पादन क्षमता तथा राज्य के पास उपलब्ध व्यय न की गई निधियों पर निर्भर करता है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से राज्यों को जारी की जाती हैं। इसके पश्चात जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य के हिस्से सहित 947.80 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान

सोनीपत सहित जिला-वार व्यय **अनुबंध-II** में दिया गया है। पीएमजीएसवाई के जारी कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत परियोजना का नाम , परियोजना का स्वीकृत मूल्य , प्रगति और किए गए व्यय की स्थिति के बारे में परियोजना-वार जानकारी कार्यक्रम की वेबसाइट : omms.nic.in->proposals->Statewise List of Roads पर देखी जा सकती है।

(घ) और (ड.): भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण-IV को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ की आबादी वाली संपर्क विहीन 25,000 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके। राजस्थान और हरियाणा सहित सभी राज्यों की सड़कों से न जुड़ी पात्र बस्तियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 06.02.2025 तक पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूरी की गई और शेष सड़कों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य का नाम	स्वीकृत			पूरी की गई			शेष*		
		सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल
1	अंडमान और निकोबार	134	378	0	78	119	0	56	255	0
2	आंध्र प्रदेश	5,416	20413	375	5,036	17873	283	380	1,950	92
3	अरुणाचल प्रदेश	1,663	16,773	303	1,326	13,762	208	337	2,965	95
4	असम	9,269	32,911	1,466	9,084	31,919	1,401	185	825	65
5	बिहार	18,770	65,601	1,996	18,334	61,427	1,448	436	2,088	548
6	छत्तीसगढ़	9,644	48,189	546	8,587	42,640	428	1057	4,,310	118
7	गोवा	70	156	0	70	155	0	0	0	0
8	गुजरात	4,828	15,733	279	4,798	15,378	104	30	177	175
9	हरियाणा	773	8,111	18	769	8,031	18	4	13	0
10	हिमाचल प्रदेश	3,877	24,978	126	3,546	21,600	100	331	2989	26
11	जम्मू एवं कश्मीर	3,437	20,801	305	3,241	19,508	218	196	876	87
12	झारखंड	8,192	33,846	854	7,759	30,594	655	433	2,605	199
13	कर्नाटक	4,456	24,268	165	4,364	23,934	155	92	194	10
14	केरल	1,807	5,312	15	1,569	4,285	4	238	989	11
15	लद्दाख	196	1,659	3	135	1,108	3	61	452	0
16	मध्य प्रदेश	20,841	94,715	1,748	20,258	89,735	1407	583	1777	341
17	महाराष्ट्र	7,074	34,567	1,120	6,431	30,625	880	643	3,293	240
18	मणिपुर	1,969	12,175	211	1,765	10,855	155	204	1,305	56
19	मेघालय	1,316	5,979	163	1,150	4,807	106	166	1,149	57
20	मिजोरम	368	4,970	0	331	4,415	0	37	535	0
21	नागालैंड	401	4,945	53	343	4,322	53	58	623	0

क्र.सं	राज्य का नाम	स्वीकृत			पूरी की गई			शेष*		
		सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल
22	ओडिशा	17,937	74,662	705	17,532	70,819	623	405	1,292	82
23	पुदुचेरी	31	66	0	30	62	0	1	2	0
24	पंजाब	1,508	11,618	39	1,356	10282	18	152	1,289	21
25	राजस्थान	18,161	78,267	73	18,061	75,,593	52	100	340	21
26	सिक्किम	1,043	5,220	126	935	4730	77	108	420	49
27	तमिलनाडु	10,352	26,578	214	9,686	23,609	151	666	2,787	63
28	तेलंगाना	3,570	14,650	551	3,202	12,777	369	368	1,559	182
29	त्रिपुरा	1,545	6,138	68	1,377	4,984	53	168	969	15
30	उत्तर प्रदेश	21,122	77,403	17	20,845	74,872	16	277	1,321	1
31	उत्तराखंड	2,625	22596	367	2,349	20,385	310	276	1,971	57
32	पश्चिम बंगाल	7,789	41039	61	7,304	37,118	54	485	3,567	7
कुल		**1,90,184**	**8,34,717**	**11,967**	**1,81,651**	**7,72,324**	**9,349**	**8,533**	**44,885**	**2,618**

* सड़क की शेष लंबाई, वक्र लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण आदि के कारण स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर से कम है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में पीएमजीएसवाई के तहत निधियों के उपयोग का जिलावार ब्यौरा (राज्य अंश सहित)

क्र.सं	जिला	राज्य अंश सहित व्यय (करोड़ रुपए में)
1	अम्बाला	32.12
2	भिवानी	78.40
3	चरखी दादरी	40.24
4	फरीदाबाद	1.98
5	फतेहाबाद	70.74
6	हिसार	62.78
7	झज्जर	36.87
8	जींद	88.09
9	कैथल	33.56
10	करनाल	25.37
11	कुरूक्षेत्र	30.64
12	मेवात	35.12
13	महेंदरगढ़	14.93
14	पलवल	42.98
15	पंचकुला	31.66
16	पानीपत	35.64
17	रेवाड़ी	4.62
18	रोहतक	71.64
19	सिरसा	143.33
20	सोनीपत	**55.38**
21	यमुनानगर	11.70
कुल योग		**947.80**

*****